11/7/23

वकील प्रार्थी उप० नहीं। G.A उप०।
गत पेशी पर वकील प्रार्थी ने
सूचना नहीं दी या हिदायत नहीं
देना जाहिर करते हुए पैरवी
से इन्कार किया इसलिये पक्षकार
के हित को ध्यान में रखते हुए
कार्यालय के नोटिफिकेशन 184-85
दि० 10.2.23 जारी किए जो
वाद तामील शामिल फायल
व बावरूद इत्तला अपील
की ओर से कोई उप०
नहीं आया। इसलिये यह
अपील खारिज हाजरी एवं
मौजूद कार्यालय एवं पैरवी
के अभाव के कारण की
जाती है चूंकि फैसल शुमार
देवर वाद प्रति डिक्री
दफ्तर की जाए।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर